मत्स्य निदेशालय

झारखण्ड, रॉंची

सं0सं0-म0नि0 IV/लेखा/283/2020-21/ 01 (आ0)/मत्स्य/रॉंची/दिनांक 07.04.2021

प्रेषक,

एच0 एन0 द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)
जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)
मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉंची,
सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, रॉंची,
निदेशक मत्स्य के सचिव सह नि0 एवं व्यय0 पदा0,
मत्स्य निदेशालय, रॉंची।

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत कुल मो0 12,82,83,000/-रु0 मात्र (बारह करोड़ बेरासी लाख तेरासी हजार) रूपये मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का आवंटन आदेश सं0 सं0 20 आ0 (वि0) दिनांक 07.04.2021 एवं ऑनलाईन आवंटन सं0 15 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु मॉग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का आवंटन आदेश सं0 20 आ0 (वि0) दिनांक 07.04.2021 एवं ऑनलाईन आवंटन सं0 15 के आलोक में मो0 12,82,83,000/-रु0 मात्र (बारह करोड़ बेरासी लाख तेरासी हजार) रूपये मात्र संलग्न विवरणी अनुरुप निधि का आवंटन किया जाता है।

2. इस आवंटन के विरुद्ध वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि0, दिनांक 15/07/03 में निहित प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाये।

3. (क) वित्त प्रभाग के परिपत्र सं0-224/बजट/दिनांक 30.03.2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में निधि का आबंटन किया जाता है।

(ख) झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन किया जाय।

4. आबंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह के 15 तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ टेजरी एम0आई0एस0 से अवश्य मिलान (रिकान्सीलेशन) करा लिया जाए।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रुप से अंकित हो, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष 21-22 के प्रत्येक महिने का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना सम्बन्धित DDO का दायित्व होगा।

6. असमायोजित अग्रिम, एल0पी0सी0/कार्यालय से हो तो उसका ससमय स्थापित प्रक्रिया के तहत नियमित समायोजन होना चाहिए।

7. आबंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाय। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।

8. सामग्री का क्रय जेम अथवा स्थापित प्रक्रिया का पालन कर ही किया जाये। पूर्व स्टोर/स्टॉक पंजी का तथा स्टाक का भौतिक सत्यापन अवश्य किया जाय। Dead/Useless सामग्री का निष्पादन स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय।

9. (क) सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मी के दावों का नियमानुसार निष्पादन समयबद्ध हो ताकि न्यायालय/दंण्डात्मक शुल्क नहीं देना हो अन्यथा इसकी वसूली दोषी कर्मी से होगी।

(ख) सभी कार्यरत कर्मियों के सेवापुस्त का सत्यापन कर, अवकाश लेखा/अन्य प्रविष्टि अद्यतन करें तथा उसका हस्ताक्षर भी प्राप्त करें।

10. यात्रा भत्ता का भुगतान वित्त विभाग/प्रभाग के पत्रांक-3336/वि0 दिनांक-17.09.2014 एवं 737/वि0 दिनांक 27.03.2018 के अनुरुप किया जायेगा। इस पर ज्यादा सावधानी बरती जाय। नियमित रुप से राशि व्यय किया जाय। इसमें किसी भी गड़बड़ी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा स्वीकृति पदाधिकारी दोषी होंगे।

11. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखना। अंकेक्षण के दौरान प्राप्त अंकेक्षण आपत्तियों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए, साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में इस मद के व्यय में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु0-<u>ऑनलाईन आवंटन</u>

विश्वासभाजन

07/04/21

(एच0 एन0 द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची

सं0सं0-म0नि0 IV/लेखा/283/2020-21/ 01 (3ि0) /मत्स्य/रॉंची/दिनांक 07.04.2021

प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी/महालेखाकार, झारखण्ड, रॉंची/अवर सचिव, (बजट) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, रॉंची /उप मत्स्य निदेशक एवं संयुक्त मत्स्य निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

07/04/21

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची